P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# गाँधी एवं न्यासधारिता

**सीमा चौधरी**
व्याख्याता,
संस्कृत विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
चिमनपुरा, शाहपुरा,
जयपुर

**सारांश**

गाँधीजी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का समान अधिकार है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य और अधिकार पर होने वाले प्रहार के प्रतिरोध के उपाय अनिवार्य रूप से जुड़े होते है। गाँधीजी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्पृश्यता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान, साधन–साध्य व्यक्ति व समाज के सम्बन्ध, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, अस्पृश्यता निवारण के साथ प्रन्यास सिद्धान्त प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मंत्र से ग्रहण किया है। जिसका भावार्थ यह है कि संसार में जो भी कुछ है वह ईश्वर का है। सामान्य गरीब लोगों के खिलाफ मुहिम, आर्थिक अन्याय के खिलाफ एवं बिगड़ते नैतिक मानकों का हिस्सा गाँधीजी के आर्थिक विचार थे।

**मुख्य शब्द :** न्यासधारिता , ट्रस्टीशिप, पूँजीवाद, साम्यवाद, ईशावस्योपनिषद्, अद्वैतमूलक आवधारणा।

**प्रस्तावना**

आर्थिक विचारधारा से सम्बन्धित गाँधीजी की ट्रस्टीशिप की धारणा है, जिसमें गरीबी के खिलाफ मुहिम, सामाजिक–आर्थिक अन्याय के खिलाफ शोषण और बिगड़ते नैतिक मानकों का हिस्सा थे। गाँधीजी का मानना है कि व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और शारीरिक श्रम से अर्पित करता है उस पर उनका अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके संरक्षक मात्र होते है। गाँधीजी ने परिवर्तन, अहिंसा और सत्यागृह पर विश्वास कर विशेषाधिकार वर्ग में परिवर्तन लाने की बात कहीं है। जिसमें साम्यवाद और पूँजीवाद को एकान्तिक मतों का समन्वय किया गया हैं।

संसार में समानता की दिशा में ट्रस्टीशिप तो पुक्लिड के बिन्दु की तरह कल्पना मात्र है और उतनी ही अप्राप्य है, लेकिन प्रयास किया जाए तो उतनी की दिशा में किसी अन्य उपाय से उतनी दूर नहीं का सकते जितने इस प्रयास ट्रस्टीशिप से।

**उद्देश्य**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यासधारिता का मूल उद्देश्य भारत और इण्डिया के नीचे बढ़ते अन्तर को कम करना है। वारने एडवर्ड बफेट अमरीकी निवेशक व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति है। शेयर बाजार की दुनिया में सबसे महान् निवेशकों में से एक है। बर्कशायर हैथवे कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सबसे बड़े शेयरधारक है। ये अपने देश के विकास में सकारात्मक सहयोग देकर देश को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे है। वैसे ही हिन्दुस्तान के अमीरों को भी अपने देश के लिए भारत और इण्डिया के बीच जो खाई है, उसे उबारने में सहयोग करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, ताकि देश का सम्पूर्ण विकास हो सकें।

गाँधीजी का मत है कि पूँजीपति जब तक स्वयं को मजदूरों के हितों का संरक्षक बनाये रखते है, तब तक श्रम व पूँजी परस्पर पूरक बने रहते है किन्तु यदि पूँजीपति पूँजी का उपयोग श्रमिक के शोषण के लिए करने लगे तो श्रमिक पूँजी से असहयोग करके पूँजी को निरर्थक बना सकते है। अतः गाँधीजी के अनुसार श्रमिकों में उनके दायित्वों व अधिकारों के प्रति चेतना के माध्यम से श्रम व पूँजी के मध्य गौरवपूर्ण समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा ''प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का समान अधिकार है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य और अधिकार पर होने वाले प्रहार के प्रतिरोध के उपाय अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। अतः कर्त्तव्यों का बोध तथा साथ ही अधिकारों के अतिक्रमण के प्रतिकार के प्रभावशाली उपायों के प्रति चेतना, श्रम व पूँजी के मध्य मौलिक समानता की स्थापना का सुगम सूत्र है। श्रमिक के अधिकारों से जुड़ा कर्त्तव्य है– क्षमता भर परिश्रम करना तथा अधिकारों की रक्षा का उपाय है उन व्यक्तियों व उस व्यवस्था से असहयोग जो श्रमिक को उसके श्रम के फलों से वंचित करती हो। यदि श्रमिक, पूँजीपति व

श्रमिक की मौलिक एकता को जान ले तो वे पूँजीपति के विनाश को अपना लक्ष्य नहीं मानेंगे, अपितु उसका रूपान्तरण करेंगे। कि का असहयोग पूंजीपति की आँखें खोल देगा और वह अन्याय कर ही नहीं सकेगा।'[1]

गाँधी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सहिष्णुता, विनम्रता, अस्पृश्यता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, साधन–साध्य व्यक्ति व समाज के सम्बन्ध, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, अस्पृश्यता निवारण के साथ प्रन्यास सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मंत्र से ग्रहण किया जिसका अर्थ है संसार में जो कुछ है, वह ईश्वर का है।

गाँधी के आर्थिक विचार सामान्य गरीबी के खिलाफ मुहिम, सामाजिक – आर्थिक अन्याय के खिलाफ शोषण, और बिगड़ते नैतिक मानकों का हिस्सा थे।

ट्रस्टीशिप का सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करते है, उस पर उनका अधिकार नहीं होता अपितु वे उसके संरक्षक होते है। गाँधी जी ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में परिवर्तन अहिंसा और सत्याग्रह की अपरिहार्यता पर विश्वास किया।

गाँधी दर्शन में न्यासधारिता की अवधारणा आर्थिक दर्शन से सम्बन्धित है, जिसमें दो एकान्तिक मतों का समन्वय किया गया हैः– पूँजीवाद और साम्यवाद। यह सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित भी हो, किन्तु उन दक्षताओं के प्रयोग के द्वारा उपार्जित सम्पदा का उपयोग स्वयं उसके हित में न होकर पूरे समाज के हित में हो।[2]

गाँधी यह समझते थे कि अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति तभी सक्रिय होगा जबकि इस कार्य में उसके लिए कोई प्रेरणा निहित हो, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि प्रन्यासियों को, उनके द्वारा किये गये कार्य के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक मिले एवं उन्हें क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए, अर्जित सम्पत्ति में से कुछ कमीशन भी प्रदान किया जाए इसके लिए उन्होंने दर के विषय में कोई निश्चित नियम प्रतिपादित करने की अपेक्षा इसे एक लचीली व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया।[3]

ट्रस्टीशिप तो युक्लिड की बिन्दु की व्याख्या की तरह एक कल्पना ही है और उतनी ही अप्राप्य भी हैं, लेकिन यदि उसके लिए कोशिश की जाये तो दुनिया में समानता की स्थापना की दिशा में हम दूसरे किसी उपाय से जितनी दूर तक जा सकते है उसके बजाय इस उपाय से ज्यादा दूर तक जा सकेंगे।

प्रन्यास के विचार में सैद्धान्तिक रूप से प्रन्यासी की सम्पत्ति की उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि गाँधी के अनुसार एक प्रन्यासी का, जनसामान्य के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं होता।[4] लोग यदि स्वेच्छा से ट्रस्टियों की तरह व्यवहार करने लगे तो उन्हें सचमुच बड़ी खुशी होगी लेकिन यदि वे ऐसा न करें तो गाँधी के अनुसार हमें राज्य के द्वारा भरसक कम हिंसा का आश्रय लेकर उनसे उनकी सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। उनकी व्यक्तिगत राय यह थी कि राज्य के हाथों में शक्तिका ज्यादा केन्द्रीकरण न हो, उसके बजाय ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार हो क्योंकि उनकी राय में राज्य की हिंसा की तुलना में वैयक्तिक मालिकी की हिंसा कम हानिकर है लेकिन यदि राज्य की मालिकी अनिवार्य ही हो तो वे भरसक कम से कम राज्य की मालिकी की सिफारिश करते थे।[5] गाँधीजी ने कहा उनका सिद्धान्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज गढ़ लिया गया हो उनका विश्वास था कि दूसरे सिद्धान्त जब नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। उसके पीछे तत्व ज्ञान और धर्म के समर्थन का बल है। इस अहिंसक मार्ग का अर्थ यह है कि यदि अन्यायी अपना अन्याय दूर नहीं करता है तो वह अपना नाश खुद ही कर डालता है, क्योंकि अहिंसक असहयोग के कारण या तो वह अपनी गलती देखने और सुधारने के लिए विवश हो जाता है या वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है।[6]

गाँधीजी ने स्वीकार किया कि उत्पादन की केन्द्रीकृत व्यवस्था में जहाँ की कुछ लोगों के पास विपुल सम्पत्ति होगी तब यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि लोग स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का परित्याग करने को तैयार न हो इसके लिए उन्होंने कहा कि हृदय–परिवर्तन के माध्यम से लोगों को इस त्याग के लिए तत्पर किया जा सकता है लेकिन यदि ऐसा नहीं तो समाज में कटु संघर्ष को और ऐसी स्थिति को जिसमें कि अभावग्रस्त लोग पूँजीपतियों से ''सम्पत्ति को बलपूर्वक छीन लें, टालना असंभव हो जायेगा उन्होंने कहा सम्पत्ति के वर्तमान स्वामियों को, यह अवसर होगा कि वे दो विकल्पों में से एक का चयन कर लें या तो स्वेच्छा से स्वयं को सम्पत्ति का प्रन्यासी बना लें या फिर वर्ग संघर्ष क सामना करें।'[7]

आजकल यह कहना एक फैशना हो गया है कि समाज को अहिंसा के आधार पर न तो संगठित किया जा सकता है और न चलाया जा सकता है। इस कथन का उन्होंने विरोध किया। परिवार में जब पिता पुत्र को अपराध करने पर थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र उसका बदला लेने की बात नहीं सोचता वह अपने पिता की आज्ञा इसलिए स्वीकार कर लेता है कि इस थप्पड़ के पीछे वह अपने पिता के प्यार को आहत हुआ देखता हैं, इसलिए नहीं कि थप्पड़ उसे वैसा अपराध करने से दुबारा रोकता है, जो बात परिवार के लिए सही है, वहीं समाज के लिए भी सही है क्योंकि समाज एक बड़ा परिवार ही है।[8]

गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि यदि सम्पत्तिधारी लोग पूँजीपति आवश्यकता से अधिक पूँजी या सम्पत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो, तो वे ये सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की सम्पत्ति का बलपूर्वक हरण कर लें, किन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के अहिंसक साधन विफल हो गए हो।[9]

गाँधीजी ने पूँजीवाद और साम्यवाद के गुण–दोषों को विवेचित करके उसके गुणों में समन्वय किया। पूँजीवाद का गुण है कि इसमें पूँजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तथा देश का आर्थिक विकास बढ़ता जाता है किन्तु इसका दोष है कि इसमें पूँजी अथा सम्पत्ति किसी एक वर्ग विशेष पर केन्द्रीभूत हो जाती है, जिससे समाज में असमानता का, भाव उत्पन्न हो जाता है।

साम्यवाद में संसाधन और शक्तियों पर सभी का समान रूप से अधिकार हो जाता हैं, समाज में समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है किन्तु इसका दोष है कि देश का आर्थिक विकास और उन्नति रूक जाती है क्योंकि शक्ति ओर संसाधन वहीं वितरित होते जाते हैं। गाँधीजी की न्यासधारिता उक्त दोनों के मध्य सामंजन्य की स्थापना करती है। जिसके मूल में अद्वैतमूलक अवधारणा दिखलाई देती है।

गाँधी के अनुसार संसाधनों की समानता, संसाधनों का समान बंटवारा, लूटने इत्यादि से प्राप्त नहीं हो सकता है, इसका सर्वोत्तम और सरल उपाय हृदय परिवर्तन की विधि है। गाँधी के अनुसार कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो उसमें कहीं न कहीं मानवीय गुण अथवा अच्छाई के गुण अवस्थित रहते हैं। जब अपने प्रयास से हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है, तब स्वतः ही समाज में साक्षात रूप से सर्वोदय का मापदण्ड दिखलाई देने लगता है। हृदय परिवर्तन चरित्र के संशोधन की एक विधि है, जिसमें नैतिक और चारित्रिक विकास का होना अनिवार्य है। हृदय परिवर्तन होने पर पूँजीपति वर्ग में इस बात का बोध कराना कि जो सम्पत्ति उनके पास हैं, उसे लेकर वह पैदा नहीं हुए हैं अपितु उन्होंने उसे प्रकृति अथवा समाज से अर्जित की है। वे केवल उसके न्यासी (धरोहर) है, जिसके विकास में उन्हें अपना और सहयोग करना चाहिए। उस पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए। उक्त अवधारणा समाज में साक्षात् रामराज्य की कल्पना है, जिसमें गाँधी सरकार विहीन, राज्यविहीन शक्ति के संचालन की बात कहते है। यह पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें आधार भूत सुविधाओं पर केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए, अपितु उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा समाज में समृद्धि के लक्षण अथवा प्रसन्नता के भाव दिखलाई दे सकते हैं। न्यासधारिता सर्वोदय से तादात्म्य रूप में सम्बन्धित हैं, यह एक पृष्ठभूमि हैं, जिसका अनुसरण करके सभी का सर्वांगिक विकास अथवा उत्थान संभव माना जा सकता है। सभी का कल्याण तभी संभव है जब न्यासधारिता को व्यवहार में लागू किया जा सकें।

उक्त अवधारणा में साधन–साध्य की पवित्रता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि हृदय परिवर्तन भी किया जा सकता है, जब अहिंसक सकारात्मक मार्ग का अनुसरण किया जाए और संसाधन और शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये।

आर्थिक– परिवर्तन के लिए हिंसक साधनों या राज्य की दमनकारी शक्ति का प्रयोग एक निर्दोष विकल्प नहीं हैं, क्योंकि हिंसा और दमन पर आधारित व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती।[10]

इसलिए वे राज्य द्वारा पूँजीपति वर्ग की सम्पत्ति के हरण को अन्तिम विकल्प मानते है क्योंकि उनके मत में राज्य द्वारा थोपी गई समानता न तो स्थायी होगी, न नैतिक और विश्वासनीय। उन्होंने कहा– ''सम्पत्ति का राज्य के हाथों में स्वामित्व अनियंत्रित, निजी स्वामित्व से बेहतर हो सकता हैं, किन्तु क्योंकि वह हिंसा पर आधारित हैं, अतः वह भी आपत्तिजनक है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्य हिंसा के माध्यम से पूँजीवाद का दमन करेगा तो वह स्वयं हिंसा के जाल में फँस जाएगा, और किसी भी समय अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। राज्य संगठित और संकेन्द्रित हिंसा का प्रतीक है। व्यक्ति में आत्मा होती है, किन्तु राज्य एक आत्मा–विहीन यंत्र है, उसे कभी भी हिंसा से विलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अस्तित्व ही उस पर निर्भर है इसलिए वे प्रन्यासिता के सिद्धान्त को वरीयता देते है।'[11]

**निष्कर्ष**

न्यासधारिता का सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्ति बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम के द्वारा को उपार्जित करता है उस पर उनका अधिकार नहीं होता अपितु वे उसके संरक्षक होते है। ट्रस्टीशिप तो युक्लिड़ की बिन्दु की व्याख्या की तरह एक कल्पना ही है और उतनी ही अप्राप्य है लेकिन प्रयास करने पर संसार में समानता की स्थापना कर सकते हैं।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी,खण्ड– 58 पृष्ठ 39–40
2. यंग इण्डिया 26 नवम्बर, 1931
3. यंग इण्डिया 26 नवम्बर, 1931
4. हरिजन, 31 मार्च 1946
5. दि मार्डन रिव्यू (अंग्रेजी मासिक)
6. हरिजन, 12 अप्रेल 1942
7. हरिजन, 16 दिसम्बर 1937
8. हरिजन (अंग्रेंजी साप्ताहिक 3 दिसम्बर, 38)
9. हरिजन, 31 मार्च 1946
10. हरिजन, 14 मार्च 1946
11. यंग इण्डिया, 26 नवम्बर, 1931